हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10-4 ...

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त पत्रावली तलब कर पुर्व आदेश दिनांक 14.06.2018 में आंशिक संशोधन हेतु निवेदन किया, जिसमें निर्णय के पेज सं. 2 के अंतिम पंक्तियों में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई पासबुक की छाया प्रति एवं नक्शे की छाया प्रति तहसीलदार पचपदरा को भेजकर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाये। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सूचित कर दोनों पक्षों के रूबरू मौका देखकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण मौके पर किस प्रकार काबिज है, उस अनुसार तरमीम कर पालना रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें, निर्णय में उक्त तथ्य त्रुटि पुर्ण रूप से दर्ज हुये है।

इस प्रकरण में कोई पास बुक की छाया प्रति पेश नहीं की तथा मौके की रिपोर्ट पुर्व में ही तलब की जा चुकी थी, माफिक मौका फर्द तरमीम का आदेश पारित करना था, किन्तु सहवन से लिपिकीय त्रुटि से निर्णय लेखन में त्रुटि पुर्ण बिना औचित्य के तथ्यों का अंकन कर दिया गया, इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, प्रार्थी को कोई राहत नहीं मिली।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील को सुना गया। उक्त प्रकरण लट्ठा ट्रेस में तरमीम से सम्बन्धित है। अतः धारा 152 सी.पी.सी. के तहत निर्णय में उक्त त्रुटियों को हटाते हुये उप तहसीलदार जसोल से प्राप्त मौका फर्द व नक्शा में गुलाबी रंग में प्रदर्शित प्रस्तावित तरमीमी भुमि सरहद मौजा खेड़ के वर्तमान खसरा सं. 1916/312, 1917/312, 1918/312 व 1919/312 से लगती हुई, पुर्व मुल खसरा सं. 306 वर्तमान खसरा सं. 522/306 रकबा 43.10 बीघा की तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। पुर्व निर्णय उक्त संशोधन अनुसार पढ़ा जावें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner